

नई दिल्ली के ताज पैलेस में सम्मेलन के दौरान बोले धूमल

हिमाचल 2020 तक बनेगा कार्बन न्यूट्रल राज्य

ब्यूरो

शिमला, 2 फरवरी। 'कार्बन स्मार्ट ग्रोथ' को कार्यान्वित करने से हिमाचल प्रदेश वर्ष 2020 तक कार्बन न्यूट्रल राज्य बन जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने नई दिल्ली स्थित ताज पैलेस में द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीच्यूट द्वारा दिल्ली सतत् विकास में 'प्रोटेक्टिंग द ग्लोबल कॉमन्स: 20 ईयर्स पोस्ट रियो' आयोजित 12वें सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 तक कार्बन न्यूट्रल बनने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कार्बन फुटप्रिंट प्रति व्यक्ति 1.4 टन आंका गया है, जबकि राष्ट्र स्तर पर यह औसत 1.57 टन प्रति व्यक्ति है। प्रदेश सरकार ने कार्बन क्रेडिट के दोहन के लिए विश्व बैंक के साथ एक 'ईआरपीए' समझौता ज्ञापन

हस्ताक्षरित किया है, ताकि 'बायो कार्बन प्रोजेक्ट' के अंतर्गत 20 वर्षों के लिए राज्य के 10 जिलों की 177 ग्राम पंचायतों में 4000 हेक्टेयर भूमि पर 20 करोड़ रुपए का कार्बन राजस्व प्राप्त किया जा सके। उन्होंने हिमालयीय क्षेत्र की बहुमूल्य वन संपदा के रखरखाव, संरक्षण एवं विस्तार के लिए बाजार आधारित 'पेमेंट फॉर इको-सिस्टम सर्विस' की वकालत की। उन्होंने पुरानी तकनीकों को बदलने, पर्यावरण बदलाव एवं अधोसंरचना विकास में नवीनतम तकनीकों के लिए शोध गतिविधियों के लिए विकसित राष्ट्रों से उदार आर्थिक सहायता एवं सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्षेत्रीय मार्गदर्शिका के लिए पर्यावरण मास्टर प्लान तैयार किया है। प्रदेश सरकार शीघ्र ही शिमला में मौसम बदलाव पर राज्य केंद्र (स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज) आरंभ

करेगी, जो मौसम बदलाव पर शोध समन्वय के लिए श्रेष्ठ केंद्र होगा। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्ति विशेष तथा विभिन्न संगठनों द्वारा स्वैच्छिक अंशदान के माध्यम से पर्यावरण कोष सृजित किया है। उन्होंने अनुकूलन रणनीतियां अपनाने व कठिनाइयों को कम करने के लिए संसाधनों एवं अधिक प्रोत्साहनों की आवश्यकता पर बल दिया। धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्टेट सेंटर फॉर साइंस, लर्निंग एंड क्रिएटिविटी आरंभ किया है, जिसे आगामी 10 फरवरी को टीईआरआई के महानिदेशक डा. आरके पचौरी की उपस्थिति में राज्य को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी सरकारी विभागों को अपने ऊर्जा एवं पर्यावरण ऑडिट और ऊर्जा उत्सर्जन को कम करने तथा उपाय सुनिश्चित बनाने के लिए कार्रवाई एवं नतियों के अवलोकन के निर्देश दिए गए हैं।